झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2003

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2003

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

प्रस्तावना :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 4 का संशोधन ।

3. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 8 का संशोधन ।

4. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 12 का संशोधन ।

5. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 21 का संशोधन ।

6. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 40 का संशोधन ।

7. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 55 का संशोधन ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2003

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) में संशोधन के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ --

(क) यह अधिनियम झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ख) इसका विस्तार झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 1(iii) के अनुसार होगा ।

(ग) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा-4 का संशोधन --

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट की धारा 4 की उपधारा (क) में शब्द, अंक 'धारा-3' शब्द, अंक, कोष्ठक 'धारा-2(ii)' से प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

3. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा-8 का संशोधन --

उक्त अधिनियम की धारा 8(iii) में उल्लेखित शब्द 'की आम सहमति' के स्थान पर 'के बहुमत' प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा उसके बाद एक परन्तुक निम्न प्रकार से जोड़ी जायेंगी;

"परन्तु यह भी कि जिस ग्राम-सभा क्षेत्र में परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जो ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुण्डा, पाहन, महतो या अन्य नाम से जाना जाता हो गैर अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम-सभा की बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा अथवा यदि उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अन्य सदस्य हों तो ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित अथवा बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से मनोनीत/समर्थित ऐसे व्यक्ति और यदि अनुसूचित जनजाति के सदस्य न हो, तो ऐसे प्रस्तावित अथवा मनोनीत/समर्थित गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।"

4. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा-12 का संशोधन --

उक्त अधिनियम की धारा 12 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"प्रत्येक ऐसा ग्राम जो धारा-2(ii) के अन्तर्गत इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है एक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत होगा ।"

5. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा 21 का संशोधन --

उक्त अधिनियम की धारा-21 की उपधारा (ख) में -

(I) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के मुखिया का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे;

"परन्तु यह भी कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में के ग्राम पंचायतों को, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है, अनुसूचित जनजातियों के मुखिया के लिए आरक्षित पदों के आबंटन से विहित रीति में अपवर्जन कर दिया जायेगा ।"

(II) खण्ड (ii) में शब्दों "ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं उपमुखिया के समस्त पदों" को शब्दों "ग्राम पंचायतों के मुखिया के समस्त पदों" से प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

6. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा-40 का संशोधन --

उक्त अधिनियम की धारा-40 की उपधारा (ख) में शब्दों "अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत समिति के प्रमुख एवं उपप्रमुख के पद अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे;" को शब्दों "अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत समिति के प्रमुख का पद अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे;" से प्रतिस्थापित किये जायेंगे एवं परन्तुक में शब्दों "प्रमुख एवं उपप्रमुख के समस्त पदों" को शब्दों "प्रमुख के समस्त पदों" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

7. झारखण्ड अधिनियम 06, 2001 की धारा-55 का संशोधन --

उक्त अधिनिमय की धारा-55 की उपधारा (ख) में शब्दों, चिह्न "अनुसूचित क्षेत्रों में जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे;" शब्दों "अनुसूचित क्षेत्रों में जिला परिषद् के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे;" से प्रतिस्थापित किये जायेंगे एवं परन्तुक में शब्दों "जिला परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों" शब्दों "जिला परिषद् के अध्यक्ष के पदों" से प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2003 दिनांक 10 सितम्बर, 2003 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 10 अक्तूबर, 2003 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

इन्दर सिंह नामधारी,
अध्यक्ष,
झारखण्ड विधान-सभा ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०)42--200--13-10-2003--शनि मुण्डा ।